न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी अर्चना बुगालिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/48/2022 दायर दिनांक 08.04.2022

उनवान

1. वरदा पिता माना जाति लौदा आयु वयस्क निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

——प्रार्थी।

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार कपासन, तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. पटवारी पटवार हल्का सुरपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. रामकिशोर पिता गोपाल जाति चौधरी आयु वयस्क निवासी अमरपुरा तहसील चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ।
4. वरदी बाई पत्नी वरदा जाति लौदा आयु वयस्क निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय दिनांकः 24.01.2024

—:निर्णयः—

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा सुरपुरी पटवार हल्का सुरपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडढ की हल्के बैरूनी के जमाबन्दी सम्वत् 2074—77 के खाता संख्या 115 की खसरा संख्या 20 रकबा 0.01 हैक्ट0, खसरा संख्या 23 रकबा 0.11 हैक्ट0, खसरा संख्या 24 रकबा 0.28 हैक्ट0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.40 हैक्ट0, स्थित है तथा खाता संख्या 103 की खसरा संख्या 25 रकबा 0.55 हैक्ट0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.55 हैक्ट0 स्थित है इसी तरह खाता संख्या 117 की खसरा नम्बर 21 रकबा 0.47 हैक्ट0, खसरा संख्या 22 रकबा 0.20 हैक्ट0, खसरा संख्या 26 रकबा 0.02 हैक्ट0 (आ.चा.) कुल किता 3 कुल रकबा 0.69 हैक्ट0 स्थित है और खाता संख्या 102 की खसरा संख्या 10 रकबा 0.03 हैक्ट0, खसरा संख्या 19 रकबा 0.16 हैक्ट0, खसरा संख्या 9 रकबा 0.41 हैक्ट0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.60 हैक्ट0 स्थित है जो प्रार्थी की मौरूसी मिल्कियत की होकर प्रार्थी की कब्जे काश्त है। वजह सबुत हाल जमाबन्दी और साबिक जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ पेश है।

यह कि प्रार्थना पत्र कि कॉलम संख्या 1 में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात प्रार्थी के पिता माना पिता काना के नाम साबिक रिकार्ड दर्ज थी प्रार्थी माना जी का एक मात्र जायन्दा पुत्र है और विधिक वारीस होकर मानाजी की आराजीयात पर काबिज है। लेकिन मानाजी की मृत्यु के उपरान्त राजस्व कर्मचारियों की गलती और पटवार हल्का की गलती की वजह से विरासत से इन्तकाल नम्बर 159/26.05.1971 [illegible] कंकु पिता माना के नाम खुल गया जब की मृतक माना जी के कं[illegible] न ही वर्तमान में है। राजस्व कर्मचारियों ने बिना कि[illegible]तस्दीक लिये कानुन [illegible]जर अन्दाज कर गलत तरीके से माना जी की विरासत का इन्[illegible]ल उपरांकित आराजी[illegible] 1/2 हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 18:15:06 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

का अंकन कर कंकु के नाम रेवेन्यु रेकार्ड दर्ज कर दिया जब की मानाजी का एक मात्र विधिक वारिस प्रार्थी ही है। और प्रार्थी ही मानाजी की सम्पूर्ण आराजीयात का हकदार होकर काश्त करता चला आ रहा है लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती से उक्त आराजीयात में कंकु का नाम अंकन हो गया है जिसे जरिये शुद्धा शुद्धी कर हाल राजस्व रेकार्ड में कंकु का नाम हटाया जाकर इन्द्राज दुरूस्त कर सम्पूर्ण आराजीयात प्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है।

अन्त में प्रार्थना की कि– प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में विरासत से इन्तकाल नम्बर 159/26.05.71 से वरदा, कंकु पिता माना के नाम खुल गया जिसको निरस्त फरमा कंकु का नाम हाल राजस्व रेकार्ड से हटाया जाकर मुझ प्रार्थी के नाम पर प्रार्थना पत्र उल्लेखित आराजीयात का हाल राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने का आदेश फरमावें।

हमनें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से पूर्व में दिनांक 04.10.2023 को उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार कपासन ने उक्त प्रकरण में वारिसान रिपोर्ट प्रस्तुत कर यह तथ्य बताया कि माना पिता काना लोदा के एक जीवित वारिस है जो कि वरदा (पुत्र) है एवं कोई पुत्री नहीं है, व गंगा (पत्नी) पूर्व में ही फौत हो चुकी है।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार कपासन द्वारा प्रस्तुत वारिसान रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार कपासन द्वारा प्रस्तुत वारिसान रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी वरदा मृत्तक माना पिता काना लोदा की एकमात्र जायन्दा सन्तान है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा सुरपुरी पटवार हल्का सुरपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडढ की हल्के बैरूनी के जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 के खाता संख्या 115 की खसरा संख्या 20 रकबा 0.01 हैक्ट0, खसरा संख्या 23 रकबा 0.11 हैक्ट0, खसरा संख्या 24 रकबा 0.28 हैक्ट0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.40 हैक्ट0, स्थित है तथा खाता संख्या 103 की खसरा संख्या 25 रकबा 0.55 हैक्ट0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.55 हैक्ट0 स्थित है इसी तरह खाता संख्या 117 की खसरा नम्बर 21 रकबा 0.47 हैक्ट0, खसरा संख्या 22 रकबा 0.20 हैक्ट0, खसरा संख्या 26 रकबा 0.02 हैक्ट0 (आ.चा.) कुल किता 3 कुल रकबा 0.69 हैक्ट0 स्थित है और खाता संख्या 102 की खसरा संख्या 10 रकबा 0.03 हैक्ट0, खसरा संख्या 19 रकबा 0.16 हैक्ट0, खसरा संख्या 9 रकबा 0.41 हैक्ट0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.60 हैक्ट0 स्थित है में दर्ज कंकु पुत्री माना जाति लोदा के बजाय वरदा पुत्र माना जाति लोदा दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। रहन व शेष बदस्तुर रहें तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावे। तहसीलदार कपासन को पृथक से तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 18:15:06 IST
Reason: SelfAttested

(अर्चना बुगालिया)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official